निर्णय दिनांक :– 21.01.2019

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी उपस्थित। प्रतिवादीगण की और से उनके अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा इकबाली जवाब दावा दिनांक 15.01.2019 को प्रस्तुत करते हुए स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 763/697 रकबा 35.15 बीघा, खसरा संख्या 766/709 रकबा 42.15 बीघा कुल रकबा 78.10 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 की जायन्दा औलाद है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता प्रतिवादी संख्या 01 मुकनाराम के हिस्से की भूमि में उनके जीवनकाल में सहखातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी बनते है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 मुकनाराम के हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीगण को कोई आपति नही

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 441/2018 अनवान उमाराम बनाम मुकनाराम**

है।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 763/697 रकबा 35.15 बीघा, खसरा संख्या 766/709 रकबा 42.15 बीघा कुल रकबा 78.10 बीघा भूमि पैतृक होने से वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 मुकनाराम के हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी बनते है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 763/697 रकबा 35.15 बीघा, खसरा संख्या 766/709 रकबा 42.15 बीघा कुल रकबा 78.10 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 मुकनाराम के हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण प्रत्येक का 1/8 1/8–1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 मुकनाराम का 1/8 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। जमाबन्दी चौसाला में एमजीबी शाखा भाड़खा के नाम रहन का अंकन यथावत कायम रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner